न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/145/2016

उनवान

1. मोती लाल जायंदा पुत्र हजारी गोदपुत्र बरदा जाट निवासी बरडोद, तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
2. श्रीमती चांदी पुत्री लोभा जाट निवासी बरडोद, तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
3. श्रीमती मेहताबी पुत्री लोभा जाट निवासी बरडोद, तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
4. श्रीमती गंगा पुत्री लोभा जाट निवासी बरडोद, तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
5. शंकर लाल पिता हजारी जाट निवासी बरडोद, तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
6. रतन लाल पिता हजारी जाट निवासी बरडोद, तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
7. श्रीमती सोसर पत्नी स्व0 हजारी जाट निवासी बरडोद, तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती सोहनी पुत्री बरदा पत्नी छोगा जाट निवासी हाडा खेडी तहसील राशमी जिला चित्तोडगढ
   जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ के प्रकरण संख्या 81/2007 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.5..2016

अधिवक्तागण :–

1. श्री बी एल बापना , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री जे सी व्यास, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय

दिनांक 20.8.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 (ए) एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बरडोद तहसील व जिला भीलवाडा में खाता संख्या 187 में स्थित आराजी नम्बर 1803 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, आराजीनम्बर 1804 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 1971 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 172 रकबा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 1973 रकबा 4 बिस्वा, आराजी नम्बर 1974 रकबा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 1975 रकबा 18 बिस्वा, आराजी नम्बर 1977 रकबा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 1978 रकबा 1 बीघा , 1979 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 2271 रकबा 05 बिस्वा कुल किता 12 कुल रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा में मृतक बरदा पिता लोभा जी का 1/4 हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम बरडोद के खाता संख्या 202 में स्थित आराजी नम्बर 1728 रकबा 5 बिस्वा, आराजी नम्बर 1730रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा, आराजी नम्बर 1731 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 1732 रकबा 16 बीघा 8 बिस्वा, आराजी नम्बर 1734 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 35 बीघा 09 बिस्वा स्थित है। इस खाते में मृतक बरदा का 1/8 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। मृतक श्री बरदा पिता लोभा जी का देहान्त दिनांक 15.3.93 को हो गया है। मृतक बरदा कि माता वादिया है व प्रतिवादी संख्या 1 उसकी पुत्री व वादी संख्या 2 उस का गोदपुत्र है। जिसे मृतक बरदा ने करीब 10 वर्ष पहले जाति रस्म रिवाज के अनुसार लेहरिया बंधाकर गोद ले लिया था तभी से वह मृतक बरदा की व वादिया की सेवा चाकरी करता आ रहा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

है। वह हमारे ही शामिल शरीक वक्त गोद से ही रह रह है। बरदा की मृत्यु होने पर वादी संख्या 2 मोती लाल ने ही मृतक बरदा का सारा क्रियाकर्म किया व उसकी पगडी भी मोती लाल के ही बंधवाई गई । बरदा के देहान्त के बाद वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 उसके प्रथम श्रेणी के वारिसान है । उक्त सारी आराजियात पर कब्जा बरदा की मृत्यु के उपरान्त वादीगण का ही चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 सोहनी विवाहिता होने से उसके ससुराल रहती है व उसका वर्णित आराजियात पर कभी भी आधिपत्य व हक नहीं रहा है। अभी नायब तहसीलदार हमीरगढ में मृतक श्री बरदा की आराजियात के बारे में नामान्तरकरण की कार्यवाही चल रही है जिसमें प्रतिवादीसंख्या 1 सोहनी अकेले अपने आपको मृतक बरदाकी एक मात्र वारिस बताकर नामान्तरकरण अपने नाम पर खुलवाने का प्रयास कर रही है। जबकि वादिया व वादी संख्या 2 भी मृतक बरदा के प्रथम श्रेणी के वारिसान है। अगर नामान्तरकरण अकेले श्रीमति सोहनी के नाम पर खोल दिया तो वह वादीगण को बेदखल कर देगी व जायदाद को बेचकर रकम हम कर जावेगी। जिससे वादीगण को असहनीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी। इस कारण से नायब तहसीलदार हमीरगढ में चल रही नामान्तरकरण की कार्यवाही को स्थगित रखवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है एवं प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द कराया जावे कि वह वादग्रस्त आराजियात से वादीगण को बेदखल नहीं करे एवं आराजियात को खुर्द बुर्द नहीं करें। तथा मृतक बरदा के स्थान पर वादीगण को वादग्रस्त आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादी का वाद पत्र

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

खारिज किया। जिससे व्यथित होकरअपीलार्थीगण/वादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की । अपील संख्या 63/2003 में बाद विचारण निर्णय दिनांक 16.11.2006 द्वारा अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.12.2002 को निरस्त कर प्रकरण में पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड किया । अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.5.2016 द्वारा वादीगण का वाद पत्र खारिज किया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी ।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि मूलतः उक्त राजस्व वाद श्रीमती प्यारी पत्नी स्व0लोभा जाट एवं मोती लाल जायन्दा पुत्र हजारी जी एवं गोद पुत्र बरदा जी जाट द्वारा धारा 88, 89 एवं 188 तथा 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहायक कलक्टर मुख्यालय भीलवाडा के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। बाद मे क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण वाद पत्र उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा के न्यायालय में अंतरित हो गया व उसके बाद हमीरगढ में नया उपखण्ड कार्यालय सृजित हो जाने के कारण वहॉ अंतरित कर दिया गया ।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि दौराने कार्यवाही वाद श्रीमती प्यारी का देहान्त हो जाने सेउसके वारिसान पुत्र हजारी, पुत्रियॉ चांदी, मेहताबी एवंगंगा को उसके स्थान पर बतौर वादी दिनांक 6.12.1997

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

को प्रतिस्थापित किया गया । प्रतिवादिया का जवाब दिनांक 19.9.1994 को बंद कर दिया गया था फिर भी उसने जवाब दावा पेश कर दिया । जिसे न्यायालय ने रेकार्ड पर नहीं लिया क्योंकि पत्रावली में कार्यवाही साक्ष्य वादी हेतु नियत की जाती रही । प्रतिवादिया के विरूरूद्ध एकतरफा कार्यवाही काआदेश दिनांक 28.9.1994 को पारित कर दिया गया था। उसने एकतरफा कार्यवाही को निरस्त कराने के लिए आदेश 9 नियम 7 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो न्यायालय द्वारा दिनांक 14.12.1994 का अस्वीकार कर दिया गया जिसके विरूद्ध कोई निगरानी या अपील पेश नहीं की गई और वह आदेश अंतिम हो गया जिससे प्रतिवादिया इस वाद की कार्यवाही में भाग नही ले सकती है।

6. साक्ष्य वादी में वादी मोती लाल के बयान दिनांक 26. 4.2000 को कराये गये और गवाहान माधू पिता रामा जाट और अनवर हुसैन पिता शफी मोहम्मद मंसूरी के शपथ पत्र दिनांक 24.9.2002 को पेश कर वाद पत्र को मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कराया था फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारादिनांक 12.12.2002 कोवाद खारिज कर दिया। दिनांक 12.12.2002 के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध मृतक वादिया प्यारी के वारिसान हजारी, मेहताबी, चांदी, गंगा व वादी मोती लालने न्यायालय श्रीमान् के यहॉ अपील प्रस्तुत की। जिसमें अपील संख्या 63 / 2003 दर्ज की जाकर निर्णय दिनांक 16.11.2006 को स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2002 को निरस्त करदिया गया एवं अपील में माननीय न्यायालय ने यह माना कि वादी मोती लाल ने भी अपने बयानों से यह साबित किया है कि वह बरदा का गोद पुत्र था । माननीय न्यायालय हाजा द्वारा अपील को स्वीकार कर मामला प्रतिप्रेषित कर अधिनस्थ न्यायालय को निर्देश दिया था कि

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उभयपक्ष को पुनः सुनकर अज सिरे नो निर्णय पारित करें। मामला अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित होने के उपरान्त मामले में पुनः कार्यवाही प्रारंभ की गई किन्तु फिर भी प्रतिवादिया सोहनी ने एकतरफा कार्यवाही को अपास्त नहीं कराया। औरअपील साक्ष्य में बयान करा दिये । ऐसे बयानों को किसी भी अवस्था में कोई महत्व नहीं दिया जा सकता है क्योंकि ये बयान विधिक प्रक्रिया के अनुसार नहीं लिये गये थे।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित होने के उपरान्त अधिनस्थ न्यायालय को साक्ष्य वादी हेतु अवसर दिया गया जिस पर दिनांक 20.1.2009 को वादी मोती लाल के बयान शपथ पत्र पर लिये गये । जिस पर जिरह हेतु प्रतिवादी को कई अवसर दिये गये किन्तु अधिवक्ता प्रतिवादी के उपस्थित नहीं होने के कारण जिरह बन्द कर दी गई। दिनांक 3.1.2012 को वादी की ओर सेआदेश 6 नियम 17 व धारा 151 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसका जवाब भी पेश हुआ व प्रार्थना पत्र बहस हेतु नियत किया गया । इसके बाद हजारी का देहान्त हो जाने से उनके वारिसान शंकर, रतन लाल , सोसरवगैरह नपे आदेश 22 नियम 3 के तहत कायम मुकाम बतौर वादी रेकार्ड पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 22.3.2013 को पेश किया गया । जिसका जवाब दिनांक 17.5.2013 को प्रस्तुत हुआ । इस प्रार्थना पत्र में बहस हेतु पेशियॉ दिनांक 11.5.2016 तक नियत की जाती रही । न्यायालय को चाहिये था कि सर्वप्रथम वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 जाब्ता दीवानी पर आदेश पारित कर मृतक हजारी के वारिसान कायम मुकाम शंकर वगैरह को रेकार्ड पर लेकर पत्रावली में आगे कार्यवाही जारी रखते। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने यह कार्यवाही नहीं कर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वादीगण को सूचित किये बिना मामले को लोक अदालत कैम्प कोर्ट बरडोद पर रख दिया। इसके बाद कोई पेशी नियत नहीं की गई व अचानक उक्त पत्रावली संख्या 81/2007 को कैम्प कोर्ट बरडोद पर दिनांक 25.6.2016 को रख दी गई जिसकी कोई सूचना वादीगण को नहीं दी गई। प्रतिवादी /रेस्पोडेण्ट को बताया जाकर उसके बयान ले लिये गये जबकि मामला साक्ष्य में नियत ही नहीं था। वादी पक्ष को जिरह करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया। प्रतिवादिया सोहनी के बयान के आधार पर अपीलार्थीगण/वादीगण का वाद पत्र खारिज कर दिया । जिससे वादीगण को भारी क्षति हो रही है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्पीकिंग ऑर्डर की परिभाषा में नहीं आता है। अपीलाधीन प्रकरण में पूरी प्रकिया नहीं अपनाई गई है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जावे एवं मामले को अधिनस्थ न्यायालय मे रिमाण्ड किया जावे। अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने न्यायिक उद्धरण आर बी जे(5) पेज 635 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

8. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण को माननीय न्यायालय द्वारा रिमाण्ड कर प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अज सिरे नो निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण वर्ष 2007 में पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया था। अपीलाधीन निर्णय वर्ष 2016 में पारित किया गया है। 9 वर्ष तक प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन रहा । प्रकरण में दिनांक 25.2.2011 को प्रत्यर्थीया के बयान लेखबद्ध किये गये उसके उपरान्त प्रकरण जिरह में लंबित रहा । वादीगण

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

के अधिवक्ता द्वारा काफी अर्से तक प्रतिवादिया से कोई जिरह नहीं की गई। वादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

9. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड का एवं अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । वाद पत्र अधिनस्थ न्यायालय में 1993 में पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.12.2002 को पारित की गई। जिसकी अपील न्यायालय हाजा में होने पर बाद विचारण न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 16.11.2006 द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अज सिरे नो निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किया गया ।

10. अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्ष को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रकरण में दिनांक 22.3.2013 को वादी हजारी पिता लोभा जाट की मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी वादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया । जिस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा उसे रीडर को मार्क किया गया । परन्तु इस बाबत दिनांक 22.3.2013 को लिखी गई आदेशिका में कोई अंकन नहीं किया गया । उक्त प्रार्थना पत्र पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचारण नहीं किया गया । जबकि उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब भी प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत किया गया । जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। अधिनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी पर बहस उपरान्त प्रार्थना पत्र पर विधिसम्मत आदेश पारित करते। चूंकि मूल वाद में उभयपक्ष के हक हितों का बाद साक्ष्य सुनवाई अंतिम तौर पर निस्तारण किया जाता है। परन्तु अपीलाधीन प्रकरण में वादी हजारी की मृत्यु के उपरान्त उसके वारिसान को कायम मुकाम दर्ज किये जाने पर कोई विचारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जो विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है।

11. अधिनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कुछ दस्तावेज जिसमें नायब तहसीलदार हमीरगढ का आदेश, एस डी एम भीलवाडा का आदेश, अतिरक्ति संभागीय आयुक्त अजमेर का आदेश एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर का आदेश की फोटो प्रस्तुत कर उन्हें रेकार्ड पर लिये जाने हेतु निवेदन किया गया । उक्त आवेदन पत्र दिनांक 12.5.2010 को अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जिस पर पीठासीन अधिकारी अथवा रीडर द्वारा कोई अंकन नहीं किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र को रेकार्ड पर लिये जाने बाबत कोई आदेशिका अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं लिखी गई। इससे पूर्व प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी से जिरह में लंबित चल रहा था। दिनांक 2.1.02012 को आदेशिका में अंकित किया गया कि '' साक्ष्य प्रतिवादी में जैरकार सपठित आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 जाब्ता दीवानी के जवाब बहस हेतु दिनांक 18.1.2012 को पेश हो। '' उसके उपरान्त साक्ष्य प्रतिवादी से जिरह के संबंध में कोई अंकन आदेशिका में नहीं किया गया एवं प्रकरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी की जवाब/बहस हेतु लंबित रहा । वर्ष 2012 से वर्ष 2015 तक प्रकरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 जाब्ता

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दीवानी की जवाब / बहस हेतु लंबित चलता रहा है। दिनांक 16.3.2016 को पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.5.2016 नियत की गई परन्तु उक्त तारीख पेशी दिनांक 11.5.2016 को कोई आदेशिका नहीं लिखी गई। प्रकरण को सीधे ही दिनांक 25.5.2016 को कैम्प कोर्ट बरडोद में रखा गया । जिसके बारे में कोई सूचना अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को नहीं दी गई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में इस बाबत जारी नोटिस संलग्न नहीं है। उक्त तारीख पेशी दिनांक 25.5.2016 को प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित होने से उसके बयान लिये गये। बयान लिये जाने के उपरान्त वादी के अधिवक्ता को जिरह का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिये था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण को जिरह का अवसर प्रदान किये बिना ही उसी दिन प्रतिवादी के बयान के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया ।

12. मूल वाद में उभयपक्ष के हक हितों का बाद साक्ष्य सुनवाई उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर अंतिम तौर पर निस्तारण किया जाता है। प्रकरण में वादी हजारी की मृत्यु के उपरान्त उनके वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र पत्रावली में संलग्न है एवं उसका जवाब भी प्रतिवादी की ओर से दिया गया है जो पत्रावली में संलग्न है। परन्तु उस पर कोई विचारण तक नहीं किया गया है। मृतक हजारी के वारिसान के बारे में विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने से पूर्व ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आर बी जे(5) पेज 635 में भी माननीय न्यायालय ने यही अभिमत प्रतिपादित किया है। आदेशिका दिनांक 25.5.2016 में वादीगण की उपस्थिति के बारे में कोई अंकन नहीं किया गया है। प्रकरण को कोर्ट केम्प बरडोद में रखे जाने बाबत

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वादीगण को किसी प्रकार के नोटिस जारी नहीं किये गये। बिना जानकारी दिये प्रकरण को केम्प कोर्ट में दिनांक 25.5.2016 को रखा गया । जिसमें वादीगण की उपस्थिति स्वरूप कोई अंकन नहीं किया गया है। यदि बाावजूद सूचना भी वादीगण अनुपस्थित रहते है तो प्रकरण वादीगण की अनुपस्थिति के कारण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है जबकि अपीलाधीन प्रकरण में प्रतिवादिया के बयान लेखबद्ध किये जाकर अपीलाधीन निर्णयपारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि प्रकरण में प्रतिवादी का जवाब दावा लेने के उपरान्त तनकियात कायम की जाती एवं उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त उपलब्ध साक्ष्य, दस्तोवज, का अवलोकन कर तनकीवाईज गुणावगुण के आधार पर विस्तृत निर्णय पारित करते। अपीलाधीन प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

13. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.5.2016 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में लंबित प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने के उपरान्त उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विस्तृत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.9.19 को उपस्थित रहे।

14. निर्णय आज दिनांक 20.8.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा